25/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त/राज कार्य से बाहर/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 09/12/22 को पेश हो।

09/12/22

पत्रावली पेश हुई। अभि0अधि0 उप0। अभिहित अधिकारी खाद् सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स0मा0 से चाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स0मा0 का जवाब प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार वर्तमान में उक्त फर्म के मालिक अभियुक्त मोहन लाल जैन के भाई श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री गोपीलाल जैन है। अभियुक्त मोहन लाल जैन के फोत होने पर श्री ताराचन्द जैन को उक्त फर्म का मालिक होने के कारण अभियुक्त बनाया जावे/नहीं बनाया जावे, के संबंध में अभि0 अधि0 की बहस सुनी गई।

बहस अभि0 अधि0 सुनने तथा पत्रावली का गहन अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त मोहनलाल जैन फर्म गोपीलाल मोहनलाल का मालिक था जिसके फोत होने के उपरान्त वर्तमान में अभियुक्त के भाई श्री ताराचन्द फर्म गोपीलाल मोहनलाल के मालिक है। ऐसी स्थिति में श्री ताराचन्द पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है तथा आवेदन पत्र में अन्य कोई अभियुक्त नहीं होने से मेरी राय में आवेदन खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट